न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 279 / 2019

वादी :– सुखाराम पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति जाट, निवासी डांगावास, तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. रामचन्द्र पुत्र श्री रामलाल
2. रामनिवास पुत्र श्री रामचन्द्र
3. सोहनलाल पुत्र श्री रामचन्द्र
4. सीताराम पुत्र श्री रामचन्द्र
5. सुमित्रा पुत्री श्री रामचन्द्र

   सभी जाति जाट, निवासीगण डांगावास

   तहसील मेड़ता, जिला नागौर
6. तहसीलदार मेड़ता।
7. पटवारी हल्का डांगावास।

दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955

निर्णय दिनांक :– 18/12/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री महिपाल चौधरी ने दावा बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हिन्दू है, हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गवर्न होते है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 1 इनके पिता है

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

तथा प्रतिवादी संख्या 5 इनकी बहन है। मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1183 रकबा 3.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1506 रकबा 3.000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1537 रकबा 1.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1619 रकबा 1.5100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 1.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 339 रकबा 1.1600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.6300 हैक्टेयर कुल रकबा 14.3800 हैक्टेयर की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की आयी हुई है। उक्त सम्पूर्ण आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का सहुलियत से अलग–अलग काश्त व कब्जा है। उक्त खसरान की भूमि आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से संबोधित की गई है। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि सम्वत् 2076 से 2076 की साथ में पेश है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है, जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को उनके पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि में वादी को जन्म से अधिकार प्राप्त है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहुलियत के अनुसार जुबानी बंटवाड़ा आज से करीब 2 वर्ष पूर्व कर लिया है, जो अर्जीदावा के पैरा संख्या 4 में वर्णितानुसार है। उपरोक्त वर्णित बंट के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 मौके पर काश्त व काबिज है तथा अलग–अलग सीवें व माठे कायम कर ली है। मगर विधिवत बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स नही हुआ है। जिससे मुतनाजा खसरान का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाने हेतु वाद पेश है। उक्त मुतनाजा आराजी पर काश्त व कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

का सहुलियत से अलग–अलग है मगर मुतनाजा आराजी की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। इसलिये वादी यह घोषणा का वाद पेश कर इस प्रकार की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1183 रकबा 3.0900 हैक्टेयर में से रकबा 0.60 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 1506 रकबा 3.000 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा रकबा 0.7500 हैक्टेयर पूरवी हिस्सा, खसरा नम्बर 339 रकबा 1.1600 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.6300 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि वादी की बंटसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है तथा यह भी घोषित फरमाया जावें कि मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1537 रकबा 1.7900 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है तथा यह भी घोषित फरमाया जावें कि मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1506 रकबा 3.000 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा रकबा 0.7500 हैक्टेयर सोहनलाल के पूरब में, खसरा नम्बर 1619 रकबा 1.5100 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7550 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल रकबा 3.2000 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.6000 हैक्टेयर की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है तथा यह भी घोषित फरमाया जावें कि मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1506 रकबा 3.000 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा रकबा 0.7500 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 1183 रकबा 3.0900 हैक्टेयर में से 2.4900 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 की

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है तथा यह भी घोषित फरमाया जावें कि मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1506 रकबा 3.000 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा रकबा 0.7500 हैक्टेयर सुखाराम के पश्चिम में, खसरा नम्बर 1619 रकबा 1.5100 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7550 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल रकबा 3.2000 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.6000 हैक्टेयर की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने से प्रतिवादीगण मुतनाजा आराजी के विशिष्ट भू–भाग को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। क्योंकि मुतनाजा आराजी वादी की पैतृक आराजी है तथा मौके पर सहुलियत से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 अलग–अलग काश्त व काबिज है। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी रूप में नही की जा सकेगी व वादी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। जिससे वादी स्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार की पाने के मुश्तहक है कि मुतनाजा खसरान की जमीन में वादी के बंट की भूमि में वादी के काश्त व कब्जा में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखल व दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और ना ही किसी अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार मेड़ता भूमिधारी व प्रतिवादी संख्या 7 रेकर्ड संधारक होने से आवश्यक पक्षकार है। इसलिये इनको पक्षकार बनाया गया है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 11 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा डांगावास की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2076, खाता संख्या 691, नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश की।

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से वकील श्री सियाराम कमेड़िया ने वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने राजीनामा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के शपथपत्र पेश किये। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 16.12.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी है।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

—: आदेश :—

6. **(क) वादी सुखाराम के बंट में :—** मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1183 रकबा 3.0900 हैक्टेयर में से रकबा 0.60 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 1506 रकबा 3.000 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा रकबा 0.7500 हैक्टेयर पूरवी हिस्सा, खसरा नम्बर 339 रकबा 1.1600 हैक्टेयर सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.6300 हैक्टेयर सम्पूर्ण भूमि वादी के बंट व खातेदारी में रहेगी।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

(ख) **प्रतिवादी संख्या 1 रामचन्द्र के बंट में :–** मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1537 रकबा 1.7900 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ग) **प्रतिवादी संख्या 2 रामनिवास के बंट में :–** मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1506 रकबा 3.000 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा रकबा 0.7500 हैक्टेयर सोहनलाल के पूरब में, खसरा नम्बर 1619 रकबा 1.5100 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7550 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल रकबा 3.2000 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.6000 हैक्टेयर की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(घ) **प्रतिवादी संख्या 3 सोहनलाल के बंट में :–** मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1506 रकबा 3.000 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा रकबा 0.7500 हैक्टेयर पश्चिमी हिस्सा, खसरा नम्बर 1183 रकबा 3.0900 हैक्टेयर में से 2.4900 हैक्टेयर उत्तरी हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ड़) **प्रतिवादी संख्या 4 सीताराम के बंट में :–** मौजा डांगावास की सरहद में स्थित खेत खसरा नम्बर 1506 रकबा 3.000 हैक्टेयर में से 1/4 हिस्सा रकबा 0.7500 हैक्टेयर सुखाराम के पश्चिम में, खसरा नम्बर 1619 रकबा 1.5100 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 0.7550 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा, खसरा नम्बर 313 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.7600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 317 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नम्बर 318 रकबा 1.1400 हैक्टेयर कुल रकबा 3.2000 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा रकबा 1.6000 हैक्टेयर की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के बंट व खातेदारी में रहेगी।

7. प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हक की सम्पूर्ण भूमि का हक तर्क वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के पक्ष में कर दिया है। जिससे हक तर्क व बंटवाड़े की स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान

(उपखण्ड अधिकारी)

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kashi Ram Chauhan
Date: 2020.02.04 13:12:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: